न्यायालय बइजलास अंजु शर्मा आर.ए.एस सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
नीमकाथाना जिला सीकर

वाद संख्या 440/2017

उनवान

रामलाल पुत्र मखन जाति गुसाई निवासी गुसाई का मठ तन डोकन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज0)

.........वादी.......

बनाम

तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर (राज0)

........प्रतिवादी.....

वादपत्र बाबत घोषणा,दुरूस्ती नक्शा

उपस्थितः– श्री सुरेश चन्द शर्मा वकील वादी

निर्णय दिनांकः– 25.06.2019

संक्षेप में वाक्यात दावा वादी इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम डोकन तहसील नीमकाथाना में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2400 रकबा 0.16 हे. में से 1/2 हिस्से की खातेदारी वादी के नाम दर्ज है। उक्त भूमि के पुराने खसरा नम्बर 324/1 रकबा 0.16 हे. थें। पुराना खसरा नंम्बर 324 के नक्शे में कोई तरमीम नही थी। वादी का कब्जा काश्त ख.न. 324 के उत्तरी और व ख.न. 283 के पश्चिमी और रहा है व आज भी वादी इसी जगह अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। जिस ज्रगह वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है उस जगह नये सैटलमैन्ट में नक्शे में गलत तरमीम कर ख.न. 2391 सिवाय चक बिना लगानी पहाड गै.मु. पहाड दर्ज कर दिया गया व वादी की खातेदारी के नये खसरा नम्बर 2400 दर्ज किये गये। नक्शे में जिस जगह ख.न. 2400 दर्ज किये गये है उस पर वादी का कोई कब्जा काश्त नही है। वादी का कब्जा काश्त ख.न. 2391 की भूमि पर है। नक्शे में गलत तरमीम होने बाबत व उसको दुरूस्त करने बाबत वादी ने प्रतिवादी से कई मर्तबा निवेदन किया तो दुरूस्ती बाबत आश्वासन देते रहे व अब मना कर दिया इस कारण वाद करना आवश्यक हुआ है। अतः वाद वादी विरूद्व प्रतिवादी डिक्री फरमाया जावें एवं ग्राम डोकन की भूमि ख.न. 2400 पुराने खसरा नम्बर 324/1 की नक्शे में जो गलत तरमीम की गई है उसे दुरूस्त करके भूमि ख.न. 2391 पर वादी जिस जगह काबिज काश्त है वहा पर नये खसरा नम्बर 2400 दर्ज फरमाया जाकर नक्शे में दुरूस्ती की जावें।

वादी का वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्ट्रर करवाया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी बावजूद सम्यक तामील के अनुपस्थित रहा। प्रकरण में पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट ली गई एवं बहस वकील वादी सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये बताया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 324 पुराने तन ग्राम डोकन की नक्शे में तरमीम नही थी। वादी पुराने खसरा नम्बर 324/1 रकबा 0.16 हें.का खातेदार है जिसके नये ख.न. 2400 बने है। वादी जहां काबिज काश्त चला आ रहा है उस जगह नये सैटलमैन्ट द्वारा गलत तरमीम कर ख.न.. 2391 सिवाय चक बिना लगानी पहाड गै.मु. पहाड दर्ज कर

सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक नीमकाथाना

Scanned by CamScanner

दिया गया एवं वादी को ख0न0 2400 का खातेदार दर्ज कर दिया। वादी का कब्जा खसरा नम्बर 2400 पर नही है बल्कि ख0न0 2391 में है। रिपोर्ट पटवारी से भी यह सिद्ध होता है कि वादी का कब्जा ख0न0 2391 पर है जिसे पटवारी हल्का द्वारा लाल स्याही से दर्शाया गया है। अतः दावा वादी डिकी किया जावें।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का डोकन का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वंत 2071 से 2074 ग्राम डोकन के अवलोकन से पाया गया कि भूमि खसरा नम्बर 2391 रकबा 0.70 हे. किस्म गै.मु.पहाड की खातेदारी सिवाय चक बिना लगानी पहाड दर्ज रिकार्ड है। तथा भूमि खसरा नम्बर 2400 रकबा 0.16 हे. की खातेदारी रामलाल पि. मखन हि. 2/5 हनुमानी देवी बेवा गोविन्दा, महिपाल, मनोज कुमार, शारदा, सन्तोष पि0 गोविन्दा हि.1/10 कौम गुसाई सा.देह वैभव वंका पि0सुभाषचन्द वंका कौम महाजन सा. नीमकाथाना हि01/2के नाम दर्ज रिकार्ड थी जिसमें खातेदार हनुमानी देवी बेवा गोविन्दा, महिपाल, मनोज कुमार, शारदा, सन्तोष पि0 गोविन्दा हि.1/10 द्वारा अपना हिस्सा बेचान करने पर ना0क0 सं. 68 नि. दि .28.01.2015 के 1/10 हिस्से की खातेदारी रामलाल पि. मखन कौम गुसाई के नाम दर्ज हुई है। अर्थात वादी वादग्रस्त आराजी का 1/2 हिस्से का खातेदार है। प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से यह तो सिद्ध होता है कि पुराने खसरा नम्बर 324/1 रकबा 0.16 हे. के नये खसरा नम्बर 2400 रकबा 0.16 हे. बने है। जहां तक विवादित भूमि की गलत तरमीम का प्रश्न है। वादी विवादित भूमि का अकेला खातेदार काश्तकार नही है बल्कि विवादित भूमि सयुक्त खातेदारी की है। वादी द्वारा सह खातेदार को वाद में पक्षकार भी नही बनाया गया है। सह खातेदार को बिना सुनवाई का अवसर दिये दावा वादी डिकी किया जाना विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी सिद्ध नही होने से खारीज किया जाता है। पर्चा डिकी मुर्तीब हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंजु शर्मा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना

सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक नीमकाथाना